अपील सूचना अधिकार संख्या 04/2022(GCMS 2022/4) (आरटीआई नं. 212793535135930) श्री राधेश्याम गोयल जाति अग्रवाल, आयु 72 वर्ष, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर नं. 52 एफ/533846) बनाम कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.06.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.11.2021 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना प्रार्थी को दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.11.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. पत्रांक प्रार्थी 29.07.2021 जो कि श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को सम्बोधित है एवं पत्र प्राप्ति क्रमांक 1416 दिनांक 29.07.2021 अंकित है, उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण एवं उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. इस पत्रांक में प्रार्थी के 19 पत्रों पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा ... दिनांक तक पत्रों पर .... किये जाने की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. सम्बन्धित कर्मकार पत्र प्राप्ति ... अंकित व दर्ज करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।
4. वह नियम जिसके तहत पत्रों पर मार्किंग 11 ... समय गुरजने के बाद भी मार्किंग नहीं की गई सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

5. प्रकरण में जांच अधिकारी नायब तहसीलदार निधी गुप्ता द्वारा जांच हेतु आदेश जिस दिवस प्राप्त होने पर भी जांच पर किये जाने की सूचना व प्रमाणित प्रति।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई. / 2021 / 1708 दिनांक 02.02.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया हैः

उपरोक्त अपील के सम्बन्ध में अपीलोत्तर निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत हैः

यह है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 06.11.2022 प्राप्ति दिनांक 10.11.2022 को आई.पी.ओ. संख्या 52 एफ 553446 संलग्न आवेदन कर आवेदन प्रस्तुत कर बिन्दु संख्या 01 से 05 तक की जानकारी / सूचना चाही गई। जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के रजि. पत्रांक आर.टी.आई. / 2021 / 1213 दिनांक 10.11.2021 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि आप द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट है एवं कोई जनहित भी नहीं है साथ ही कार्यालय कार्य को बाधित करने वाली सूचना चाही गई है। आप द्वारा चाही गई सूचना बाबत जिन पत्रों का हवाला दिया गया है उनकी प्रति उपलब्ध करवायें एवं चाही गई सूचना स्पष्ट अंकित कर भिजवावें ताकि आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सकें। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज फरमाने की कृपा करें।

संलग्न : पत्र क्रमांक 1213 दिनांक 10.11.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
कलैक्ट्रेट,श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपील का उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है और अपने पत्रांक 1213 दिनांक 10.11.2021 से अपीलार्थी को भी जवाब दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगांगनगर द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर,** श्रीगांगनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested